<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।</u>

<u>वारण्ट दाण्डिक वाद संख्या- 121 / 2018</u>

सरकार　　　　　　　　बनाम　　　　　　　　अरविन्द पाण्डेय आदि

मु.अ.सं.-24/2018
धारा-323,504,506 भा.द.सं.
थाना-बरगढ़।
जिला-चित्रकूट।

<u>आरोप</u>

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्तगण अरविन्द पाण्डेय व अखिलेश पाण्डेय को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-28.02.2018 को समय करीब 01 बजे दोपहर, स्थान-वादिया के घर के अन्दर, वहद ग्राम-चचोखर कोटवा, थाना-बरगढ़, जिला-चित्रकूट में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा व उसकी चाची को लात-घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किये हैं। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा व उसकी चाची को भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर शासय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी जिसके द्वारा आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-10.06.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-10.06.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।